न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 44/2013

तारीख दायरा—14.06.2013

तारीख निर्णय—26.05.2016

1. श्री केसरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री नाहरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
3. श्रीमति केसरबाई पत्नी मोहनसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमति पुष्पाबाई पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमति गंगा कुंवर बेवा जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
6. रोड कुंवर पत्री जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल तहसील गोगुन्दा।
7. भूमिधारी जरिये, तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री कुशालसिंह राणावत

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम तिरोल व गुमान पटवार सर्कल तिरोल तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जो मौजा गुमान की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 57 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 2.6800 है0, एवं मौजा तिरोल की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 58 में वर्णित आराजियात किता 28 कुल रकबा 3.3250 हैक्टयर है। खाता संख्या 58 में वर्णित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 9/10 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/10 वां हिस्सा निहित है एवं खाता संख्या 57 में वर्णित आराजियात में

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 व 6 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त सम्पूर्ण खाते की कृषि आराजियात भूमि जो ग्राम तिरोल व गुमान में स्थित है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से व हक अनुसार मौखिक रूप से कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियात भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार हक व हिस्सा निहित है एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार व कब्जेधारी होकर उपयोग उपभाग करते आ रहे है, परन्तु भूमि राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नही होने से वादी अपनी भूमि के विकास हेतु ऋण भी नही ले पा रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट्स के आधार पर बंटवाडा करा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते दर्ज कराई जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री खुमाणसिंह राव द्वारा वकालत नामा पेश किया गया, परन्तु दिनांक 09.04.2015 को प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी वकील की अदम हाजरी में प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से वादी की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा गुमान पटवार क्षेत्र तिरोल की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 57 एवं मौजा तिरोल पटवार क्षेत्र तिरोल की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 58 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का हिस्से अनुसार बंटवाडा चाहता है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अगर उनको बंटवाडा किये जाने में कोई आपत्ति होती तो वह प्रकरण में जवाब पेश करते परन्तु लगभग 10 पेशियों तक प्रकरण में जवाब पेश नही किया एवं बाद में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है। वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं वादी केवल मात्र भूमि का बंटवाडा चाहता है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गुमान की खाता संख्या 33 में वर्णित आराजी नम्बर 3892 रकबा 0.0750, 3893 मी. रकबा 0.3000, 3899 मी. रकबा 0.0275, 3902 रकबा 0.1300, 3943 मी. रकबा 0.0175, 3944 मी. रकबा 0.0800, 3965 मी. 0.1200, 3969 मी. रकबा 0.0300 किता 8 कुल रकबा 0.7800 है0 भूमि का श्री केसरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, आराजी नम्बर 3893/1 रकबा 0.3000, 3896/1 रकबा 0.0650, 3899/1 रकबा 0.0275, 3943/1 रकबा 0.0175, 3944/1 रकबा 0.0800, 3965/1 रकबा 0.2600, 3969/1 रकबा 0.0300 किता 7 कुल रकबा 0.7800 है0 भूमि का केसरबाई पत्नी मोहनसिंह, मोहनसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, आराजी नम्बर 3894 रकबा 0.0400, 3895 रकबा 0.0800, 3896 मी. रकबा 0.0600, 3899/2 रकबा 0.0300, 3967 रकबा 0.0200, 3968 रकबा 0.0100, 3905 रकबा 0.0900, 3965/2 रकबा 0.4500 किता 8 कुल रकबा 0.7800 है0 भूमि का पुष्पाबाई पत्नी नाहरसिंह, नाहरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, आराजी नम्बर 3965 रकबा 0.3400 है0 भूमि का मु. गंगाकुंवर बेवा जवानसिंह राजपूत 1/10 निवासी तिरोल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा तिरोल की खाता संख्या 58 में वर्णित आराजी नम्बर 2219 रकबा 0.1400, 2220 रकबा 0.0100, 1870 मी. रकबा 0.0250, 1869 रकबा 0.0225, 1856 मी. रकबा 0.0425, 1861 मी. रकबा 0.0775, 1867 रकबा 0.0750, 2095 मी. रकबा 0.1200, 2221 रकबा 0.0900, 2228 रकबा 0.3775, 2237 रकबा 0.0200 किता 11 कुल रकबा 1.0000 है0 भूमि का केसरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, 1856/1 रकबा 0.0425, 1861/1 रकबा 0.0775, 1867/1 रकबा 0.0750, 1869/1 रकबा 0.0225, 1870/1 रकबा 0.0300, 2209 रकबा 0.4800, 2210

उप-खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

रकबा 0.0550, 2225 रकबा 0.0150, 2226 रकबा 0.0450, 2227 रकबा 0.0350, 2228/1 रकबा 0.0975, 2235 रकबा 0.0250 किता 12 कुल रकबा 1.0000 है0 भूमि का मोहनसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, 1857 रकबा 0.0750, 1862 रकबा 0.0450, 1867/2 रकबा 0.0750, 1868 रकबा 0.1050, 1872 रकबा 0.0700, 2095/1 रकबा 0.0300, 2098 रकबा 0.0550, 2099 रकबा 0.4600, 2233 रकबा 0.0350, 2234 रकबा 0.0250, 2236 रकबा 0.0250 किता 11 कुल रकबा 1.0000 है0 भूमि का नाहरसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल, आराजी नम्बर 2096 रकबा 0.1300, 2228/2 रकबा 0.1750, 2229 रकबा 0.0200 किता 3 कुल रकबा 0.3250 है0 भूमि का गंगाकुंवर बेवा जवानसिंह राजपूत निवासी तिरोल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर